

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0013

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

27/05/2024 20:04 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/05/2024 Time (समय): 20:04 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 020 Date and Time (दिनांक और समय): 27/05/2024 20:04 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 90 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): कैथल, जिला कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a)

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1969

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ्र नि ब्यूरो उप केन्द्र, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ्र नि ब्यूरो उप केन्द्र, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7015195030

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	नवीन कुमार			1. तत्कालिन एस डी ओ, जिला परिषद कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	जसवीर सिंह			1. तत्कालिन कनिष्ठ अभियंता, जिला परिषद कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
3	कुलवंत सिंह			1. तत्कालिन लेखा लिपिक, जिला परिषद कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
4	जसविन्द्र सिंह			1. तत्कालिन डिप्टी सी ई ओ, जिला परिषद कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
5	जयवीर			1. तत्कालिन जे ई, जिला परिषद कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
6	साहिल कश्यप			1. जे ई जिला परिषद, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

7	कमलजीत		Father's Name: सुरजमल	1. गांव किठाना, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
8	प्रवीन सरदाना		Father's Name: रमेश सरदाना	1. प्रो भारत प्रोजेक्ट, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
9	अनील कुमार गर्ग		Father's Name: शशि भुषण गर्ग	1. 95, हुड्डा, पुण्डरी, जिला कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
10	दिलबाग सिंह		Father's Name: भुला राम	1. गांव फरियाबाद, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
11	सुमित मिगलानी		Father's Name: हरबंस लाल	1. प्रो AUTUS AGREOVET INDIA, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
12	तिलक राज		Father's Name: जयराम	1. गांव बारणा, कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
13	रोहताश		Father's Name: ईन्द्र सिंह	1. गली न 3, रिषी नगर, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
14	राजेश गर्ग		Father's Name: सोम प्रकाश	1. अनाज मन्डी पुण्डरी, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA
15	अभय सन्धु			1. कुतेबपुर, कैथल KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-
सेवा मे,

थाना प्रबन्धक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

अम्बाला मण्डल अम्बाला।

श्रीमान जी

निवेदन है कि जांच क्रमांक 04 दिनांक 01.07.2021 मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 61/26/2021-2-चौ-II दिनांक 25.06.2021 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन 9960/आई-1/रा.चौ. ब्यू (ह.) दिनांक 01.07.2021 अनुसार पंजीकृत होकर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के कार्यालय के डायरी क्रमांक 739 दिनांक 06.07.2021 अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें श्री लीला राम विधायक हल्का कैथल निवासी लाला चरण दास मार्ग न्यू माडल टाउन कैथल द्वारा की गई शिकायत के आधार पर निम्न आरोप की जांच की जानी थी।

जिस में आरोप था कि फरवरी व मार्च 2021 में जिला कैथल के गांवों के लिए Grant for Creation of capital Assets के अन्तर्गत प्राप्त हुई Grant से जिला परिषद के प्रधान, श्रीमती मीनाक्षी दहिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीमती कमलप्रीत कौर CEO, श्री नवीन गोयत उप मण्डल अधिकारी पंचायती राज व श्री जसबीर सन्धु कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज द्वारा 31 मार्च से पहले ही ठेकेदारों से मिलीभगत करके 35 से 40 प्रतिशत कमीशन लेकर ठेकेदारों को भुगतान किया गया है, जबकि धरातल पर कोई कार्य न करके प्राप्त Grant का दुरुपयोग करके सरकारी राशि का गबन किया गया है।

जांच से पाया गया है कि Development Panchayats Department Haryana, Chandigarh के आदेश पृष्ठांक न. GA-II-2020/100875-100923 दिनांक 27.11.2020 के अनुसार Grant for Creation of capital Assets during financial year 2020-2021 के तहत जिला परिषद कैथल के लिए 31.64 करोड़ रूपए प्राप्त राशि में से 50 प्रतिशत राशि को Creation of capital Assets relating to sanitation preferably for scaling up of GOBAR-Dhan projects (minimum 2 per Block) as per norms under New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOMP) of Ministry of New Renewable Energy, as approved by District Level Sanctioning Committee and Solid Liquid Waste Management, construction of 3/5 pond system, grey water management इत्यादि कार्यों का प्राकलन तैयार करके पंचायत विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार उपरोक्त राशि खर्च की जानी थी। लेकिन श्री मति सुखविन्द्र कौर तत्कालीन चेयरमैन जिला परिषद कैथल द्वारा जिला कैथल के 151 गांवों में करवाए जाने वाले उपरोक्त Tied कार्यों की जगह Sanitation work for Desilting of Naala/Coverd with RCC Plate, Cleaning of Road of Both Side, Desilting of Pond, Ground Leveling/Vyayamsaala, Sanitation work for Remediation/Reclamation of Solid Waste, Removal of Solid/Liquid Waste Desilting of Naala Other sanitation work, Tied कार्यों की हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के प्रारूप में 3 (क) के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार नवीन कुमार SDO व जसबीर सिंह तत्कालीन JE जिला परिषद कैथल ने 208 Tied Work के प्राकलन (Estimate) विभाग द्वारा जारी Memo No. DFA-3-2017/63435-533 dt. 07.06.2017 में पैरा न 03 व 05 के अनुसार घटना स्थल पर न जाकर और फोटोग्राफ न लेकर तथा गांव में किस-किस स्थान पर Sanitation work किया जाएगा और कितना कूड़ा / मलबा उठाया जाएगा और किस-किस नालों की साफ-सफाई की जाएगी बारे विवरण न दर्शाकर उपरोक्त कार्यों के प्राकलन अपने स्तर पर तैयार करके, स्वयं तकनीकी स्वीकृति दी गई थी।

इसके उपरांत श्रीमती श्री मति सुखविन्द्र कौर तत्कालीन प्रधान जिला परिषद कैथल ने नवीन कुमार SDO द्वारा तैयार किये गये उपरोक्त कार्यों के आधे-अधुरे प्राकलन (Estimate) के आधार पर कार्यालय CEO जिला परिषद कैथल से उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पत्र क्रमांक 252 दिनांक 11.02.2021 व 257 दिनांक 12.02.2021 के अनुसार पत्राचार किया गया था। जिस पर कार्यालय जिला परिषद कैथल के कलर्क औम प्रकाश द्वारा नोटिंग फाईल तैयार करके कुलवंत सिंह लेखा लिपिक को भेजी गई, लेखा लिपिक ने श्री जसविन्द्र सिंह Dy. CEO के सम्मुख पेश की जिस पर Dy. CEO ने आगामी एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु CEO को भेजी थी।

जिस पर तत्कालीन CEO जिला परिषद द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 10807 दिनांक 08.02.2021, 10861 दिनांक 11.02.2021 व 10897 दिनांक 12.02.2021 के अनुसार सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक GA-II-2021-348-69 दिनांक 04.01.2021 व Memo No. GA-II-2021/4153 दिनांक 18.01.2021 के तहत उचित दिशा-निर्देशों से उप मण्डल अधिकारी जिला परिषद कैथल को कार्य करवाने के आदेश जारी किए गए।

इसके उपरान्त नवीन कुमार SDO द्वारा पंचायत विभाग के (HARYANA GOVT. GAZ (EXTRA) SEPT 26, 2017

(ASVN 3, 1939 SAKA) की अनुसूची ख में नियम 134 (1) (ख) और 135 (1) के अनुसार कुटेशनें/निविदाओं आमन्त्रित न करके अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने स्तर पर निम्न मामों SATYAM CONST, THE KAITHAL SARASWATI CO. OP SOCIETY LTD. BHARAT PROJECT, TEJAS CONCERETE, AUTUS AGROVET INDIA, M/S SHIV ENTERPRISES, ROSTASH SINGH CON, VASU CONSTRUCTION, LUXMI BUILDING MATERIAL STORE AND SUPPLIER, SHUBHAM KISSAN PIPE KAITHAL से JCB, Tractor Trolley, Remediation Reclamation of Solid Waste Machine, Dumper, Pocklane Machine, Suction Tanker इत्यादि किराए पर लेने दर्शाकर जिला कैथल के 151 गावों में उपरोक्त किस्म के 208 Tied Work करवाए जाने दिखाए गए हैं।

जांच के दौरान अंकित किए गए कथनों अनुसार फर्मों के मालिक/प्रोपराइटरों द्वारा JCB, Tractor-Trolley, Remediation Reclamation of Solid Waste Machine, Dumper, Pocklane Machine, Suction Tanker इत्यादि व्हीकलों की लॉगबुक, आर.सी. व ड्राइवर का नाम, पता व अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करवाने में अपनी असमर्थता जताई गई है।

जांच से दिनांक 17.02.2021 से 31.03.2021 तक जिला कैथल के 151 गावों में नवीन कुमार SDO जिला परिषद कैथल द्वारा करवाए गए 208 Tied Work कार्यों के उपरोक्त फर्मों से मिलीभगत करके, JCB, Tractor-Trolley, Remediation Reclamation of Solid Waste Machine, Dumper, Pocklane Machine, Suction Tanker इत्यादि की लॉगबुक के बिना, फरवरी 2021 व मार्च 2021 में उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में बिल/वाउचर फर्जी तैयार करके, जसबीर सिंह तत्कालीन JE से मिलीभगत करके मापक पुस्तिका तैयार करवाकर तथा फरवरी 2021 व मार्च 2021 में उपरोक्त कार्यों करवाने के मजदूरों के नाम के एक ही मस्ट्रोल को एक ही तारीख (Same date) में अलग-अलग गांव (जैसे गांव जसवन्ती, बलवन्ती, धौस, पट्टी अफगान, नौच, हरसोला, भानपुरा, गढी पाडला, देवबन, सिनद बालू, चौशाला इत्यादि) में दर्शाकर फर्जी मस्ट्रोल तैयार किए गए हैं।

इसके उपरांत फर्मों द्वारा किराए पर दी गई उपरोक्त मशीनरी JCB, Tractor-Trolley, Remediation Reclamation of Solid Waste Machine, Dumper, Pocklane Machine, Suction Tanker इत्यादि के द्वारा कार्य करने सम्बन्धित फर्जी बिल / वाउचरों/मस्ट्रोल को उपरोक्त नवीन कुमार SDO व जसबीर सिंह JE द्वारा सत्यापित करके और मस्ट्रोल अनुसार मजदूरों की मजदूरी की राशि की Payment करने के लिए JE/SDO के पर्सनल बैंक खातों यूनिफ कोड सहित कार्यालय CEO जिला परिषद कैथल को पत्राचार किया गया। जिसके आधार पर कार्यालय जिला परिषद कैथल के क्लर्क औम प्रकाश द्वारा Tied कार्यों के भुगतान हेतु नोटिंग फाईल तैयार करके, कुलवन्त सिंह लेखा लिपिक पर भेजी गई थी, लेखा लिपिक कुलवन्त सिंह व श्री जसविन्द्र सिंह Dy CEO ने SDO नवीन कुमार व JE जसबीर सिंह से मिलीभगत करके सभी फर्जी बिल/वाउचरों/मस्ट्रोल को सत्यापित करके, अपने-अपने हस्ताक्षर किए और Dy. CEO ने आगामी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु CEO को भेजी थी और श्रीमति कमलप्रीत कौर HCS, तत्कालीन CEO ने भुगतान के लिए नोटिंग फाईल पर स्वीकृति प्रदान करते हुए Dy. CEO को नियमानुसार भुगतान करने के आदेश जारी किए गए थे।

इसके उपरांत श्री जसविन्द्र सिंह Dy. CEO ने नवीन कुमार SDO व जसबीर सिंह JE से मिली भगत करके ट्रेजरी कार्यालय कैथल के माध्यम से Grant for Creation of capital Assets during financial year 2020-2021 के अन्तर्गत प्राप्त राशि 31.64 करोड़ रुपये में से 50 प्रतिशत राशि 15.82 करोड़ रुपये में से जिला कैथल के लगभग 151 गांवों में 208 Tied Work पर खर्च की गई राशि की Payment युनिफ कोड सहित सम्बन्धित SDO/JE व फर्मों के प्रोपराइटरों के बैंक खातों में भेजी गई, जोकि यह Payment कमलजीत पुत्र श्री सुरजमल निवासी गांव किठाना जिला कैथल प्रोपराइटर THE KAITHAL SARASWATI CO. OP. SOCIETY LTD. के HDFC Bank खाता संख्या 59296888888888 में 88,19,583/- रुपये, प्रवीन सरदाना पुत्र श्री रमेश सरदाना निवासी कैथल प्रोपराइटर BHARAT PROJECT के UBI Bank खाता संख्या 509701010137464 में 1,43,16,616/- रुपये, अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री शशि भूषण गर्ग निवासी मकान न० 95. हुड्डा पुण्डरी जिला कैथल प्रोपराइटर TEJAS CONCERETE के HDFC Bank खाता संख्या 50200014139539 में 86,02,750/- रुपये, दिलबाग सिंह पुत्र श्री भुला राम निवासी गांव फरियाबाद तहसील व जिला कैथल प्रोपराइटर SATYAM CONSTRUCTION के UBI Bank खाता संख्या 509701010137174 में 1,62,84,279/- रुपये, श्री सुमित मिगलानी पुत्र श्री हरबंस लाल कैथल प्रोपराइटर AUTUS AGROVET INDIA, के PNB Bank खाता संख्या 5890002100001246 में 92,99,338/- रुपये, श्री तिलक राज पुत्र जयराम निवासी बारना जिला कुरुक्षेत्र प्रोपराइटर M/S SHIV ENTERPRISES के HDFC Bank खाता संख्या 50200028731212 में 1,81,17,636/- रुपये, रोहताश पुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी गली न० 3 ऋषि नगर कैथल प्रोपराइटर ROHTASH CONSTRUCTION के UCO Bank के खाता संख्या 32150210000144 में 72,17,320/- रुपये, राजेश गर्ग पुत्र श्री सोम प्रकाश निवासी अनाज मण्डी पूण्डरी जिला कैथल प्रोपराइटर VASU CONSTRUCTIONS के HDFC Bank के खाता संख्या 502000528900336 में 41,79,654/- रुपये, अभय संधु वासी

कुतेबपुर जिला कैथल प्रोपराइटर LUXMI BUILDING MATERIAL STORE AND SUPPLIER के Punjab Sind Bank खाता संख्या 10181100000127 में 47,65,583/- रुपये व SHUBHAM KISSAN PIPE KAITHAL के ANDHARA Bank के खाता संख्या 180111100000584 में 30.03.2021 को 4,64,925/- रुपये) कुल अर्थात् कुल 9,20,67,684/- रुपये जमा करवाने पाए गए हैं।

इसी प्रकार उपरोक्त कार्य के दौरान लगे मजदूरों को Payment करने के नाम पर फर्जी मस्ट्रोल के नवीन कुमार SDO ने अपने SBI Bank के खाता संख्या 20290665189 में 50,67,682/- रुपये तथा जसबीर सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के INDIAN Bank के खाता संख्या 20645214749 में 26,89,445/- रुपये, जयवीर सिंह कनिष्ठ अभियन्ता के INDIAN Bank के खाता संख्या 20644162642 में 23,04,007/- रुपये व साहिल कश्यप कनिष्ठ अभियन्ता के PNB Bank के खाता संख्या 2100000100035415 में 5,55,712/- रुपये अर्थात् लगभग 10,26,84,529/- रुपये ट्रेजरी कैथल के माध्यम से ट्रांसफर करवाये गये हैं।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि जयवीर सिंह कनिष्ठ अभियन्ता व साहिल कश्यप तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज कैथल के अंकित किए गए कथनों अनुसार जयवीर सिंह व साहिल कश्यप कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा Grant for Creation of capital Assets during financial year 2020-2021 के अर्न्तगत प्राप्त राशि से कोई Tied Work करवाया जाना, न ही उपरोक्त द्वारा किसी बिलो को सत्यापित करना और न ही मापक पुस्तिका भरी जानी पाई गई है। श्री जसविन्द्र सिंह तत्कालीन DY. CEO द्वारा नवीन कुमार SDO के कहे अनुसार व उपलब्ध करवाये गये यूनिट कोड के आधार पर जयवीर सिंह कनिष्ठ अभियन्ता के खाता में भेजी गई राशि 23,04,007/- रुपये और साहिल कश्यप कनिष्ठ अभियन्ता के खाता में भेजी गई 5,55,712/- रुपये को वापिस जिला परिषद कैथल के खाता में न भेजकर नवीन कुमार SDO से मिली भगत करके जयवीर सिंह कनिष्ठ अभियन्ता ने नवीन कुमार SDO के खाता संख्या 20290665189 में तथा साहिल कश्यप JE ने नवीन कुमार SDO की पत्नी रितू के PNB BANK के खाता संख्या 0231001500018638 में ट्रांसफर करके अपने कर्तव्य का निर्वाहन न करके कदाचार किया जाना पाया गया है।

जांच से नवीन कुमार SDO उपरोक्त ने जो फर्जी मस्ट्रोल के आधार पर अपने बैंक खाते व सम्बन्धित JE के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई गई सरकारी धनराशि 50,67,682 23,04,007, 55,712 79,27,405/- रुपये का गबन किया है और गबन की गई राशि कुल 79,27,405/- रुपये में से 30,00,000/- रुपये में श्रीमती सेवापती पत्नी श्री बलबीर सिंह निवासी गांव हैबतपुर जिला जीन्द की मई 2021 में 5 कनाल 2 मरले कृषि भूमि अपने नाम से खरीद की जानी पाई गई है।

जांच के दौरान पूर्व जांच अधिकारी व मन निरीक्षक द्वारा जिला कैथल के गांव के चौकीदार, सफाई कर्मचारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अंकित किए गए कथनों से प्राप्त किए गए दस्तावेजों से, तकनीकी शाखा भ्र.नि.ब्यू, हरियाणा पंचकुला से प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट तथा घटनाक्रम निरीक्षण अनुसार व कार्यालय जिला परिषद कैथल द्वारा उपलब्ध करवाए गए फोटोग्राफ अनुसार वर्ष 2020-2021 में उपरोक्त गांव में 02/03 दिन तक उपरोक्त Tied Work कार्य किया जाना पाया गया है। लेकिन नवीन कुमार तत्कालीन SDO व जसबीर सिंह तत्कालीन JE जिला परिषद कैथल ने अपने-अपने पद का दुरुपयोग करके उपरोक्त फर्मों के मालिकों से मिलीभगत करके 30% कार्य करके, 100% कार्य पूर्ण होने के फर्जी बिल/वाउचर तैयार करवाकर फरवरी 2021 व मार्च 2021 में उपरोक्त कार्यों के मजदूरों के नाम के एक ही मस्ट्रोल को एक ही तारीख (Same date) में, अलग-अलग गांव में दर्शाकर फर्जी मस्ट्रोल तैयार (जबकि एक मजदूर एक समय में एक जगह ही कार्य कर सकता है) करके और कुलवन्त सिंह लेखा लिपिक व जसविन्द्र सिंह Dy. CEO ने SDO नवीन कुमार व JE जसबीर सिंह से मिली भगत करके सभी फर्जी बिल / वाउचर व मस्ट्रोल को सत्यापित करके अपने-अपने हस्ताक्षर किए और Dy. CEO ने आगामी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु CEO को प्रस्तुत की और श्री मति कमलप्रीत कौर HCS, तत्कालीन CEO ने भुगतान के लिए नोटिंग के माध्यम से Payment सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त करके जसविन्द्र सिंह तत्कालीन DY. CEO द्वारा उपरोक्त 9 फर्मों के खातों में कुल राशि 9,16,02,759/- रुपये तथा नवीन कुमार SDO द्वारा उपलब्ध करवाये गये यूनिट कोड के आधार पर नवीन कुमार SDO, जसबीर JE, जयबीर JE व साहिल कश्यप JE के बैंक खातों में भेजी गई मुबलिक राशी 1,06,16,850/- रुपये कुल 10,22,19,604/- रुपये राशि जमा करवाकर, जबकि उपरोक्त Tied Work का काम 100% न होकर अनुमानित करीब 30% अर्थात् 3,06,65,881/- रुपये का ही किया गया है। इस प्रकार 10,22,19,604 - 3,06,65,881 लगभग 7,15,53,723/- रुपये का गबन करके हरियाणा सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर धारा 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भा.द.स. तथा 13 (1)a, 13(1)b r/w 13(2) PC Act 1988 के अर्न्तगत अपराध किया जाना पाया गया है।

इस बारे अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के कार्यालय के पत्र क्रमांक

816 दिनांक 16.05.2024 के अनुसार आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला भेजी गई थी। कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 10670/गुप्त/भ.नि.ब्यू.(ह.) दिनांक 20.05.2024 के अनुसार उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः 1. नवीन कुमार तत्कालीन SDO जिला परिषद कैथल (हाल कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज रोहतक), 2 जसबीर सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता जिला परिषद कैथल (हाल कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज, पेहवा) 3 कुलवन्त सिंह तत्कालीन लेखा लिपिक जिला परिषद कैथल, 4 जसविन्द्र सिंह तत्कालीन Dy. CEO जिला परिषद कैथल (हाल DDPO यमुनानगर), 5. जयबीर तत्कालीन JE जिला परिषद कैथल, 6. साहिल कश्यप JE जिला परिषद कैथल, 7 कमलजीत पुत्र श्री सुरजमल निवासी गांव किठाना जिला कैथल प्रोपराइटर THE KAITHAL SARASWATI CO. OP. SOCIETY LTD., 8 प्रवीन सरदाना पुत्र श्री रमेश सरदाना निवासी कैथल प्रोपराइटर BHARAT PROJECT, 9. अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री शशि भूषण गर्ग निवासी मकान नं० 95, हुड्डा पुण्डरी जिला कैथल प्रोपराइटर TEJAS CONCRETE, 10. दिलबाग सिंह पुत्र श्री भुला राम निवासी गांव फरियाबाद तहसील व जिला कैथल प्रोपराइटर SATYAM CONSTRUCTION, 11. सुमित मिगलानी पुत्र श्री हरबंस लाल निवासी कैथल प्रोपराइटर AUTUS AGROVET INDIA, 12. तिलक राज पुत्र जयराम निवासी बारना जिला कुरुक्षेत्र प्रोपराइटर M/S SHIV ENTERPRISES, 13. रोहताश पुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी गली नं० 3 ऋषि नगर कैथल प्रोपराइटर ROHTASH CONSTRUCTION, 14. राजेश गर्ग पुत्र श्री सोम प्रकाश निवासी अनाज मण्डी पूण्डरी जिला कैथल प्रोपराइटर VASU CONSTRUCTIONS, 15. अभय संधु निवासी कुतेबपूर जिला कैथल प्रोपराइटर LUXMI BUILDING MATERIAL STORE AND SUPPLIER के विरुद्ध धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भा.द.स. तथा 13 (1) a, 13 (1) b r/w 13 (2) PC Act 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त दौरान अनुसंधान उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा अगर विषय उपरोक्त के बारे में अन्य किसी के विरुद्ध साक्ष्य आते हैं तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक-एक प्रति स्पेशल न्यायालय कैथल, निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा को व अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भेजी जाए।

Sd. Sube Singh

(सुबे सिंह)

निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो.

उप केन्द्र कैथल।

दिनांक 20.05.2024

अज थाना :- इस समय एक तहरीर टाईप शुदा निरीक्षक सुबे सिंह भ०नि०ब्यूरो कैथल मय रिकार्ड बर खिलाफ 1. नवीन कुमार तत्कालीन SDO जिला परिषद कैथल (हाल कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज रोहतक), 2 जसबीर सिंह तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता जिला परिषद कैथल (हाल कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज, पेहवा) 3 कुलवन्त सिंह तत्कालीन लेखा लिपिक जिला परिषद कैथल, 4 जसविन्द्र सिंह तत्कालीन Dy. CEO जिला परिषद कैथल (हाल DDPO यमुनानगर), 5. जयबीर तत्कालीन JE जिला परिषद कैथल, 6. साहिल कश्यप JE जिला परिषद कैथल, 7 कमलजीत पुत्र श्री सुरजमल निवासी गांव किठाना जिला कैथल प्रोपराइटर THE KAITHAL SARASWATI CO. OP. SOCIETY LTD., 8 प्रवीन सरदाना पुत्र श्री रमेश सरदाना निवासी कैथल प्रोपराइटर BHARAT PROJECT, 9. अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री शशि भूषण गर्ग निवासी मकान नं० 95, हुड्डा पुण्डरी जिला कैथल प्रोपराइटर TEJAS CONCRETE, 10. दिलबाग सिंह पुत्र श्री भुला राम निवासी गांव फरियाबाद तहसील व जिला कैथल प्रोपराइटर SATYAM CONSTRUCTION, 11. सुमित मिगलानी पुत्र श्री हरबंस लाल निवासी कैथल प्रोपराइटर AUTUS AGROVET INDIA, 12. तिलक राज पुत्र जयराम निवासी बारना जिला कुरुक्षेत्र प्रोपराइटर M/S SHIV ENTERPRISES, 13. रोहताश पुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी गली नं० 3 ऋषि नगर कैथल प्रोपराइटर ROHTASH CONSTRUCTION, 14. राजेश गर्ग पुत्र श्री सोम प्रकाश निवासी अनाज मण्डी पूण्डरी जिला कैथल प्रोपराइटर VASU CONSTRUCTIONS, 15. अभय संधु निवासी कुतेबपूर जिला कैथल प्रोपराइटर LUXMI BUILDING MATERIAL STORE AND SUPPLIER बाबत माह फरवरी व मार्च 2021 में जिला कैथल के गांवों के लिए Grant for Creation of capital Assets के अन्तर्गत प्राप्त हुई Grant से जिला परिषद के प्रधान, श्रीमती मीनाक्षी दहिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीमती कमलप्रीत कौर CEO, श्री नवीन गोयत उप मण्डल अधिकारी

पंचायती राज व श्री जसबीर सन्धु कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज द्वारा 31 मार्च से पहले ही ठेकेदारों से मिलीभगत करके 35 से 40 प्रतिशत कमीशन लेकर ठेकेदारों को भुगतान किये जाने व जबकि धरातल पर कोई कार्य न करके प्राप्त Grant राशी 7,15,53,723/- रुपये का दुरुपयोग करके सरकारी राशि का गबन किये जाने बारे बाजूम धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भा.द.स. तथा 13 (1) a, 13 (1) b r/w 13 (2) PC Act 1988 का होना पाया जाने पर कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक 11005/Secret/ACB(H) dated Panchkula the 24.05.2024 अनुसार अनुमोदन होने उपरांत कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 570 दिनांक 27.05.2024 अनुसार थाना मे प्राप्त हुई है। जिस पर मुकदमा न. 13 दिनांक 27.05.2024 धारा 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भा.द.स. तथा 13 (1)a, 13 (1)b r/w 13 (2) PC Act 1988 थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट सेवा मे स्पेशल न्यायालय कैथल बजरिया ईमेल भेजी जा रही है। तथा नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड ई.एच.सी. गुरनाम सिंह न. 1454/अम्बाला के अनुसंधान हेतु निजद निरीक्षक महिन्द्र सिंह न. 322/एच. भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कैथल भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mahender Rank (पद): I (Inspector) Singh
No. (सं.): 322H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PAWAN KUMAR

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes
3	Male					Is pox pitted: Yes
4	Male					Is pox pitted: Yes
5	Male					Is pox pitted: Yes
6	Male					Is pox pitted: Yes
7	Male					Is pox pitted: Yes
8	Male					Is pox pitted: Yes
9	Male					Is pox pitted: Yes
10	Male					Is pox pitted: Yes
11	Male					Is pox pitted: Yes
12	Male					Is pox pitted: Yes
13	Male					Is pox pitted: Yes

14	Male					Is pox pitted: Yes
15	Male					Is pox pitted: Yes

[illegible]

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)